कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर में दायर एसबीसी याचिका सं–13404/2022 महीपाल राठौड़ बनाम राज्य व अन्य तथा 13420/2022 शम्भू सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक–31.08.2022 के विरूद्व अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक–16.09.2022 जारी किये गए थे। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त दोनो याचिकाओं को एस. बी. सिविल याचिका सं–12829/2022 प्रवीण कुमार बनाम राज्य व अन्य के साथ सम्बद्व (Connected) करते हुए याचिकाओं में पारित समेकित निर्णय दिनांक–10.01.2023 द्वारा पूर्व में जारी स्थगनादेशों को Absolute करते हुए याचिकार्थीगण के समबन्ध में विभाग को प्रशासनकि आवश्यकता में दिनांक–15.04.2023 के पश्चात् नवीन आदेश प्रसारित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। अतः माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के अनुसरण में विभागीय एवं प्रशासनिक आवश्यकता में नवीनआदेश प्रसारित करते हुए याचिकार्थीगण कोउनके नाम के सम्मुख विद्यालयों में व्या.हिन्दी के पद पर पदस्थापित किया गया।

S.No.	NAME	EMPLOYEE ID	PRESENT POSTING PLACE	DISTRICT	TRANSFERRED POSTING PLACE	DISTRICT	TA/DA APPLICABLE
1	SHAMBHU SINGH ASOLIA	RJUD199137001841	SINDHIBHASAI GSSS PRATAP NAGAR (223309)	UDAIPUR	GSSS HINGLAT (217805)ARNOD, PRATAPGARH	PRATAPGARH	YES
2	MAHIPAL RATHORE	RJUD199437000467	GSSS JHALLARA (223564)	UDAIPUR	GSSS MAMODHAN (217495) BASERI	DHAULPUR	YES

उक्त स्थानातरण–पदस्थापन के विरूद्ध दोनों अपीलार्थी ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर में अपील संख्या–255/23 शंभू सिंह आसोलिया बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एवं अपील संख्या–256/23 महिपाल राठोड़ बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की।

माननीय अधिकरण ने आदेश दिनांक 25/07/2023 को आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी को आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम अधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं सक्षम अधिकारी को अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियामानुसार आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये। उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशानिर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिपेक्ष्य में एवं गुणावगुण के आधार पर परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

जहां तक अपीलार्थी को 250 कि.मी दूर स्थानांतरित किये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू एल.सी. 2007(2) 276 में अवधारित किया गया है कि "So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. the plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. it does not involve

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.08.20 17:17:47 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4483839

any violation of service Rules. "अपीलार्थी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई निहित अधिकार (VESTED RIGHT) नही हैं।

किसी भी राजपत्रित लोकसेवक के स्थानान्तरण/पदस्थापन के समबन्ध में निर्णय का यह क्षेत्राधिकार नियोक्ता को है कि वह अपने अधीन राजपत्रित लोकसेवक को कब, कहॉ और किस समय स्थानान्तरित करता है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त के प्रकरण में अपने निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि लोकसेवक के स्थानान्तरण/पदस्थापन की शक्तियां पूर्णतया नियोजक के अधीन है। किसी भी लोकसेवक को सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा प्रशासनिक आवश्यकता/विभागीय प्राथमिकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कही पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त दिशा–निर्देशो के अनुसार उक्त दोनो अपीलार्थी के किए गए स्थानान्तण में सेवा नियमों का उल्लंघन नही पाया गया अतः दोनो अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में स्थानान्तरण आदेश निरस्त करने की मांग खारिज करने योग्य पाए जाने के आधार पर एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

(काना राम)
आई.ए. एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department

कमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–7/हिन्दी/या.स.–255–256/2023 **दिनांक–**

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
02. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
04. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा...।
05. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा..।
06. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
07. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
08. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
09. संबंधित प्राधानाचार्य/संबंधित कार्मिक...।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature valid
Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.08.20 17:17:47 IST
Reason: Approved